

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

शेख मो० मुसा

वनाम

मो० अब्बास

वाद संख्या-46/2013-14

वाद का प्रकार-अधिकार का प्रख्यापन

आदेश

25.01.2014 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि पर वादी के अधिकार के प्रख्यापन के लिए दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण

मौजा नारी अंचल गौड़ाबौराम जिला दरभंगा।

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
268 पु०	5125 पु०	08 डी०	उ०- मो० किसमत
4 नया	6165 नया		द०-मो० अबास
			पु०-मो० हारुणरसीद
			प०-रास्ता

प्रथम पक्ष का संक्षेप में कहना है कि आवेदक ने एक भूमि जिसका विवरण इस आवेदन के अंत में सिडुल 1 में दिया जा रहा है को दिनांक 24.01.2013 को शेख अबुल हसन पिता शेख मजलुम सा० कुमई थाना घनश्यामपुर जिला दरभंगा से निबंधित दस्तावेज के माध्यम से अपने नाम खरीद किया एवं वास्तविक दखल कब्जा में आया वह भूमि उनकी वैक्तिक अर्जित की गई थी। दस्तावेज दिनांक 24.01.2013 की छायाप्रति इस आवेदन के साथ एनेक्चर 1 के रूप में दाखिल है। मद नं० 1

*H*

*c.c. Issued vide letter  
No- 24 dt - 24/01/14  
H.A. - 28/02/14*

*Mo. 63 dt - 26.2.14  
C. Issued v.c.  
22/2/14*

की भूमि शेख अबुल हसन को 1988 ई0 में प्राप्त था जिस पर उसका दखल कब्जा भी था। आवेदक को मद नं0 1 की भूमि पर खरीदगी के दिन से ही दखल कब्जा कायम मिला तथा उस पर वह एक छोटा सा घर का भी निर्माण किया तथा उक्त भूमि के कुछ अंश पर घर तो बनाया गया लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का छत नहीं दिया गया। आवेदक अपने ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। विपक्षी के पिता के नाम मो0 मजलुम है जो अपने पिछे चार पुत्रों को छोड़कर स्वर्गवासी हुए तथा उनके चारों पुत्र यथा शेख अबुल हसन, शेख मकबिल, शेख अब्बास, एव शेख इलीयास अपने पिता की मृत्यु के बाद घरारी की सम्पत्ति का बॉट आपसी समझ बुझ से कर लिया। आपसी बटवारा के बाद शेख इलीयास को छोड़कर सभी भाईयो ने अपने अपने हिस्से की जमीन को विभिन्न लोगों के हाथ बेच दिया। विपक्षी के द्वारा अपने हिस्से की जमीन हाजी मो0 हारून रसीद पे0 शेख अब्दुल मन्नान के हाथ वर्ष 2001 में निबंधित दस्तावेज के माध्यम से विक्री कर दिया गया जिस पर दखल कब्जा हैं। विक्री के बाद विपक्षी इधर उधर अपने परिवार के साथ रहा करता था परंतु जब वर्ष 2013 में आवेदक जो की गाँव के मुखिया भी है ने जब विपक्षी के भाई शेख अबुल हसन से उनके हिस्से की जमीन खरीद किया।

वहीं दुसरी तरफ प्रतिवादी का संक्षेप में कहना है कि कहना है कि यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत चलने लायक नहीं है। इस वाद में जटिल स्वत्व का सन्हित है अतः धारा 4 (5) के आलोक में इस वाद की कारवाई बन्द कर दी जाय। आवेदक वादी द्वारा दिया गया वक्तव्य आधारहीन एवं गलत है जिसे प्रतिवादी इन्कार करते हैं यह कि वादी मो0 मुसा ग्राम पंचायत के मुखिया है जिनका प्रतिवादी के अवासीय घर पर नजर गराये हुए है एवं दिनांक 24.01.13 को निबंधित केवाला के माध्यम से अब्दुल हसन से खरीद किये है। इस भूमि पर प्रतिवादी का मकान बहुत दिनों से है अतः वादी के वाद को खारिज किया जाय।

दोनो पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि पर केवाला के आधार पर दावा किया गया है एवं साक्ष्य स्वरूप 24.01.13 के केवाला की प्रति संलग्न की गई है। प्रतिवादी

के तरफ से प्रश्नगत भूमि अपने दावे से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है यदापि उक्त भूमि पर अवासीय मकान के साथ बहुत दिनों से दखल होने का दावा किया गया है। दोनों पक्षों के दावे-प्रतिदावे के सत्यापन के लिए मेरे द्वारा स्थल निरीक्षण का निर्णय लिया गया। दिनांक 08.01.14 को अंचल अमीन के साथ स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के क्रम में चौहद्दीदारों एवं अन्य ग्रामिणों द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी का दखल कब्जा बहुत दिनों से है जिस पर वे अवासीय घर बनाकर रह रहे हैं। प्रश्नगत जमीन पर प्रतिवादी का घर पाया गया। स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है। चौहद्दीदारों एवं ग्रामिणों के बयान एवं स्वयं मेरे द्वारा किये गये निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी का प्रश्नगत भूमि पर लगभग 15 से 20 वर्षों से दखल कब्जा है। इस प्रकार इस वाद में जटिल स्वत्व निर्धारण का प्रश्न सन्निहित है जिस पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय देना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद को खारिज किया जाता है। वादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

उपर्युक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

93  
25.01.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

92  
25.01.14

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल